# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

विविध परिवाद प्रकरण सं. 20/2019

**प्रार्थी–**

थानाधिकारी, पुलिस थाना
नागाणा जिला बाड़मेर

***बनाम***

**अप्रार्थी–**

1. गणेशाराम उर्फ जेठाराम पुत्र लक्ष्मणराज जाट निवासी दर्जियों की ढाणी माधासर पुलिस थाना बायतु जिला बाड़मेर
2. सताराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी रतासर पुलिस थाना बिजराड़ बाड़मेर
3. धर्माराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी लापला कोसरिया पुलिस थाना बायतु जिला बाड़मेर
4. भूरसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी महाबार पुलिस थाना सदर बाड़मेर
5. गौतमसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी महाबार पुलिस थाना बाड़मेर सदर

**परिवाद अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955**

उपस्थिति :–
1. अभियोजन अधिकारी परिवादी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश बिश्नोई, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1से3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री करनाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4व5 की ओर से उपस्थित।

## आदेश

दिनांक : 18.12.2019

1. प्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना नागाणा ने यह परिवाद धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के पेश कर, गैर सायलयान से प्रकरण सीआर नम्बर 56/2017 पुलिस थाना नागाणा 420, 407, 413, 120 बी

जिला कलक्टर बाड़मेर

भादंसं एवं 3/7/, 3/8 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में बरामदाशुदा टैंक सं. आरजे 19 जीडी 8999 का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 14.07.2017 को श्री गणपतसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह जाति राजपुत निवासी राखी पुलिस थाना समदड़ी हाल एमपीटी नागाणा पुलिस थाना नागाणा बाड़मेर द्वारा लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना नागाणा के समक्ष इस आशय पर पेश की गई कि मैं लीगल चेंज टीम कैयर्न आयल एण्ड गैस बाड़मेर में कार्यरत हूँ। कंपनी ने राजस्थान में बाड़मेर–सांचौर बेसिन में तेल एवं गैस उत्खनन का लाईसेंस आरजेओएन 90/1 ले रखा हैं। इसी के अन्तर्गत सरस्वती फील्ड में उत्पादन किया जाता हैं। इस सरस्वती फील्ड का वेलपेड संख्या एस # 01 कोशलु में आया हुआ हैं। जिसमें दिनांक 13.07.07 को प्रातः 10:10 ए.एम बजे टैंकर संख्या आरजे 19 जीडी 8999 जिसका चालक सताराम एवं हेल्पर धर्माराम लेकर लोडिंग बेस पर आये जिसे लोडिंग में कुल 22.365 केएल प्रोड्यूस वाटर भरा गया हैं उक्त कार्य को संपन हेतु वेलपेड डयुटी हेतु टी पी सी कंपनी (BONACE) के ऑपरेटर से रूबेन टी सर्वेयर श्री ओम प्रकाश विश्नोई (आईसीएस) व लेबर आदूराम व उगमाराम ड्यूटी पर थे जिन्होने लोडिंग वर्क संपन्न करवाया जिसका डिलीवरी चालान आर जे/सरस्वती/एसआई/प्रोड्यूस वाटर डीसी/521 दिनांक 13.07.07 की जी.सी. न. 42387 टैंकर संख्या आर जे 19 जीडी 8999 की बनाकर समस्त कागजात डाईवर को दिये। इसके पश्चात यह टैंकर 11:35 ए.एम पर एस # 01 वेलपेड से सिक्योंरिटी चैकिंग के बाद बाहर निकाला गया, जिसे एस.पी.टी. पहुंचकर उपरोक्त लोडेड मैटेरियल/प्रोड्युसर वाटर खाली करना था। इस टैंकर निमित श्री भोपालसिंह स्टेक होल्डर आरजीटी को टेलीफोन द्वारा श्री संजय भौमिक एसओ को सूचना दी कि टैंकर संख्या आर जे 19 जीडी 8999 की गतिविधि पर नजर रखे जिस पर भोपालसिंह ने क्यूआरटी इंचार्ज गणेश माली को टेलीफोन पर सूचना दी जिसने गाड़ी फोलो करना शुरू किया। इस बीच भोपालसिंह बाछड़ाउ में टैंकर के पास आ गया व भोपालसिंह ने क्यूआरटी को वापस आरजीटी भेज दिया व टैंकर को फोलो करता हुआ एम.पी.टी. तक आया व संजय भौमिक व रमेश जी ए एस ओ को संभालकर वापस चला गया। भौमिक साहब ने टैंकर को अनलोड करने को लेकर अनलोडिंग वे पर ले गये। दिनांक 14.07.07 को टैंकर को अनलोड वे पर पुलिस पार्टी मय एस एच ओ साहब, कैयर्न के अधिकारी सर्व श्री प्रमोद कुमार ऑपरेटर, श्री घनश्यामसिंह, संजय भौमिक (एसओ) श्री रमेशचन्द्र (एएसओ) की उपस्थिति में फोटोग्राफी करवाते हुए टैंकर को चैंक

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

किया। चालक व मालिक बुलाने के पश्चात् भी उपस्थित नही हुए। टैंकर चैंक करने पर चैम्बर सं. 1, 2, 3 तक से प्रोडयुस वाटर माफिक मापदण्ड पाया गया व चैम्बर 04 में 179 सेमी कुल डेप्थ में से 34 सेमी प्रोडयुस वाटर एवं 145 सेमी क्रुड ऑयल पाया गया एवं चैम्बर न. 5 में कुल डेप्थ 186 सेमी मे 14 सेमी प्रोड्युसर वाटर एवं 172 सेमी क्रुड ऑयल पाया गया। उपलब्ध लोडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार मात्र पोडयुस वाटर डी सी भरना अंकित हैं, जबकि अनलोडिंग वे पर चैकिंग चैम्बर न. 4 व 5 में उपरोक्त अनुसार क्रुड ऑयल होना पाया गया। उक्त टैंकर नरेन्द्र रोडलाईन्स से सम्बन्ध है, अपराधियों ने लाभ के लिए यह कृत्य किया है वगैरह रिपोर्ट पर अपराध सं. 56 दिनांक 14.07.2017 धारा 420, 407, 120, बी भादसं में पुलिस थाना नागाणा में पंजिबद्ध कर अनुसंधान शुरू किया। दौरान अनुसंधान इस प्रकरण से सबद्ध अन्य दो एफआईआर सं. 191/20.07.2017 एवं 192/21.07.2017 पुलिस थाना सदर बाड़मेर का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रिट पीटीशन संख्या 2531/2017 में पारित आदेश अनुसार तीनों प्रकरणों को कन्सुलिडेट अनुसंधान किया गया अनुसंधान पश्चात् उप अधीक्षक, एसओजी राज0 जयपुर द्वारा दिये गये निष्कर्ष के आधार पर अंतिम परिणाम आरोप पत्र स. 50/2017, 50ए/2017 व 50बी/2017 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर के न्यायालय में धारा 420, 407, 413, 120 बी भादसं एवं 3/7, 3/8 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना नागाणा द्वारा आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद यह परिवाद अन्तर्गत धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरणों में जब्तशुदा टैंकर सं. आरजे 19 जीडी 8999 के अलावा शेष बचे टैंकरों के चालकों, मालिकों व हेल्परों से अनुसंधान करना शेष है। यह भी प्रकट किया हैं कि प्रकरण में धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत अनुसंधान पैण्डिग है तथा एसओजी जयपुर द्वारा अनुसंधान किया जा रहा हैं। परिवादी थानाधिकारी पुलिस थाना नागाणा ने इस परिवाद के द्वारा निवेदन किया है कि प्रकरण में जब्तशुदा टैंकरों द्वारा चोरी का क्रुड ऑयल परिवहन करना पाया गया था व फैक्ट्री मालिक भूरसिंह व गोतमसिंह द्वारा टैंकर मालिकों व चालकों से मिलीभगत कर चोरी का क्रुड ऑयल क्रय विक्रय करना पाया गया है। जो क्रुड ऑयल पैट्रोलियम पदार्थ की श्रेणी में आता है उक्त टैंकरों के निस्तारण हेतु अनुसंधान अधिकारी एसओजी जयपुर के निर्देशों के अनुसरण में परिवाद प्रस्तुत हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर बाड़मेर

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुलिस थाना नागाणा द्वारा यह परिवाद बेबुनियाद व झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया हैं। प्रकरण में दर्ज एफआईआर सं. 56/2017 में अंकित तथ्यों से ही भली–भांति प्रमाणित हैं कि जब्त टैंकर के अन्दर कूड ऑयल व प्रोड्युस वाटर भरा जाता हैं तब कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा टैंकर चालक से मुख्य गेट पर टैंकर ले लिया जाता हैं तथा वापिस लोड करके चालक को मय चालान सुपुर्द किया जाता है। इस प्रकार टैंकर के अन्दर गलत रूप से प्रोड्युस वाटर की जगह कूड ऑयल गैर सायल सं. 1, उसके चालक या खलासी द्वारा नहीं भरा गया है। इस कारण गैर सायल सं. 1से3 के विरूद्ध यह इस्तगासा गलत रूप से पेश किया गया है तथा बिना किसी विधिक तथ्यों के द्वारा पुलिस ने कम्पनी के कर्मचारियों की गलती व चोरी छिपाने की नियत से जब्त किया गया है तथा झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया हैं। पुलिस द्वारा उक्त कम्पनी के बड़े अधिकारियों व राजनेताओं के दबाव के चलते गलत रूप से अनुसंधान कर मात्र चालक व खलासियों को इस प्रकरण में लिप्त किया गया है जबकि असली गुनाहगार आज भी कोसों दूर हैं। इस प्रकार प्रस्तुत इस्तगासा मे वर्णित तथ्यो के आधार पर गैर सायल सं. 1 से 3 के द्वारा किसी प्रकार से अपने स्वंय के द्वारा कूड ऑयल का गलत रूप से परिवहन में लिप्त नहीं किया गया हैं तथा न ही उक्त कूड ऑयल गैर सायल सं. 1से3 द्वारा भरा गया है। लिहाजा उक्त कार्यवाही प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने से यह इस्तगासा गैर सायल सं. 1से3 के हितों तक खारिज फरमाया जावें तथा तत्काल जब्तशुदा उक्त वाहन सं. आरजे 19 जीडी 8999 को गैर सायल को सुपुर्द किये जाने का आदेश फरमावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

5. अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना सं. 56/2017 पुलिस थाना नागाणा में दिनांक 14.07.2017 को टैंकर सं. आरजे 19 जीबी 8999 को पुलिस थाना नागाणा द्वारा कब्जा में लिया गया। तत्पश्चात प्रकरण सं. 191/17 व 192/17 पुलिस थाना सदर बाड़मेर में कुल 35 वाहन जब्त किये गये, जिसमें अप्रार्थी भूरसिंह, गौतमसिंह व चम्पसिंह के वाहन संख्या आरजे 19 जीए 4574, आरजे 04 जीए 3348, आरजे 04 जीए 5428, आरजे 19 जीडी 9949, आरजे 19 जीई 7719, आरजे 04 जीए 6019 व आरजे 04

जिला कलक्टर बाड़मेर

जीए 5299 को जब्त कर पुलिस चौकी भाडखा में रखवाये गये हैं। उक्त वाहनों में किसी तरक का आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रतिबंधित किसी आवश्यक वस्तु का परिवहन नहीं किया जा रहा था। इसके बावजूद उक्त वाहनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व 3/8 में प्रकरण दर्ज कर अंतिम परिणाम अपर जिला एवं सेशन न्यायाल सं. 1 बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो विचाराधीन हैं। अप्रार्थीगण के उक्त वाहनों के मालिक व चालकों से सम्पूर्ण अनुसंधान किया जा चुका हैं तथा संबंधित समस्त आवश्यक कार्यवाहियां व अनुसंधान पुलिस व एसओजी द्वारा सम्पन्न कर संबंधित न्यायालयों में प्रकरण प्रस्तुत किया जा चुका है, जो विचाराधीन हैं। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, का परिवाद खारिज फरमाया जावें।

6. थानाधिकारी की ओर से उक्त प्रकरण के आरोप पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् श्री गौतमसिंह पुत्र श्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर टैंकर सं. आरजे 19 जीडी 9949, आरजे 19 जीइ 7718, आरजे 04 जीए 6019, प्राथी श्री भूरसिंह पुत्र श्री जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर मालिक टैंकर सं. आरजे 19 जीए 4574, आरजे 04 जीए 3348, आरजे 04 जीए 5428 श्री चम्पसिंह पुत्र श्री जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर मालिक टैकर सं. आरजे 04 जीए 5299 के मालिक की हैसियत से इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर बरामदाशुदा टैंकर्स को सुपुर्दगी पर दिलाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्रों पर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रकरणों में अनुसंधान एसओजी जयपुर द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी इण्डसइण्ड बैक लि0 जरिये शाखा प्रबंधक, नारायणदान चारण पुत्र श्री तेजदान कार्यालय सिणदरी रोड़ बाड़मेर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता सहपठित धारा 3/6 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर प्रकरण में बरामद शुदा वाहन टाटा एलपीटी टैंकर सं0 आरजे 04 जीबी 1914 को रिलीज करवाने का प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्रों को आदेश दिनांक 19.02.2019 को खारिज किया गया। इसी प्रकार श्री बगताराम पुत्र भीखाराम की की ओर से भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा वाहन सं. आरजे 04 जीबी 0535 को सुपुर्दगी पर दिलाये जाने का निवेदन किया गया। इस बाबत अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकट किया कि उक्त वाहन जैर अनुसंधान हैं तथा इसके

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर बाड़मेर

निस्तारण हेतु धारा 6ए का परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, ऐसे मे उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 04.12.2019 को खारिज किया गया।

7. हमने प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी एवं अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों व रिपोर्ट्स का अवलोकन किया। दौरान सुनवाई टैंकर सं. आरजे 19 जीडी 8999 के अतिरिक्त अन्य टैंकर्स को सुपुर्दगी पर दिलाये जाने के प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.02.2019 इस आधार पर खारिज किये गये थे कि जिन टैंकर्स के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं उनके निस्तारण से सम्बन्धित कोई प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हैं तथा इसकी ताईद अभियोजन अधिकारी द्वारा भी सुनवाई के दौरान की गई हैं। थानाधिकारी की ओर से प्रस्तुत रिपोट्स में यह उल्लेखित किया गया हैं कि शेष टैंकर्स के मालिक, चालक एवं हेल्पर से अनुसंधान शेष हैं। इस न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 19.02.2019 के विरूद्ध जिला एवं सेशन न्यायालय बालोतरा में फौजदारी अपील सं. 03/2019 प्रस्तुत हुई, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.07.2019 पारित कर इस न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण में प्रस्तुत परिवाद एवं अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्रों का अवलोकन विधिनुसार किये जाने के पश्चात नियमानुसार निस्तारण किया जावें। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना नागाणा से माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 23.07.19 को पुनः अभियोजन अधिकारी द्वारा यह प्रकट किया कि जब्तशुदा वाहन सं. आरजे 19 जीडी 8999 के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो जाने से इसके निस्तारण हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत किया गया हैं एवं अन्य मालिकों व चालकों से अनुसंधान शेष होने से उनके विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस पर अप्रार्थीगण के सुपुर्दगी प्रार्थना पत्रों को पुनः खारिज किया गया एवं थानाधिकारी को अनुसंधान की वर्तमान प्रगति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जो पत्र दिनांक 4492 दिनांक 13.11.2019 भिजवाते हुए थानाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में अनुसंधान एसओजी जयपुर द्वारा किया जा रहा हैं तथा प्रकरण हाजा में अन्य जब्तशुदा टैंकरों, चालक व मालिकों के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने से पूर्ण पालना रिपोर्ट प्रेषित नहीं कर इस्तगासा पेश नहीं किया जा सका। अभियुक्त भूरसिंह व गौतमसिंह की संलिप्तता के सम्बन्ध में व जब्तशुदा वाहनों के सम्बन्ध में इस्तगासा पेश किया जा चुका हैं। इस रिपोर्ट पर अधिवक्तागण अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट किया गया कि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका हैं

जिला कलक्टर बाड़मेर

तथा उनके विरूद्ध अंतिम परिणाम न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण भी आरम्भ हो चुका हैं। इस पर अनुसंधानकर्ता से पुनः वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई, जो अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी, राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 06.12.2019 अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट में उल्लेखित किया हैं कि प्रकरण में 39 टैंकर जब्त किये हैं तथा प्रकरण हाजा में टैंकर नम्बर आरजे 19 जीडी 8999 भरा हुआ जब्त किया गया था, जिसमें टैंकर में चैम्बर बने हुये थे, चैम्बर नम्बर 4 में 179 सेमी कुल डेप्थ में से 34 सेमी प्रोड्युस वाटर व 145 सेमी कूड ऑयल पाया गया था एवं चैम्बर नम्बर 5 में कुल डेप्थ में से 186 सेमी में से 14 प्रोड्युसर वाटर एवं 172 सेमी कूड ऑयल पाया गया था, जिसको मौके से जब्त किया गया था। अन्य खाली टैंकरों से अभियुक्तों द्वारा कूड ऑयल चोरी कर परिवहन किया जाना अनुसंधान में पाया गया हैं, जिनको बतौर वजह सबूत उक्त प्रकरणों में जब्त किया गया। उक्त रिपोर्ट पर बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 व 5 द्वारा प्रकट किया गया कि उनके जब्तशुदा टैंकर्स में किसी प्रकार का आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में आने वाला पदार्थ बरामद नहीं किया गया है तथा खाली टैंकर्स को अनुमान के आधार पर जब्त किया गया हैं ऐसे में उनके विरूद्ध उक्त परिवाद खारिज किया जाकर जब्तशुदा टैंकर्स सुपुर्द किये जाने का आदेश फरमावें।

8. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत इस्तगासा एवं समय–समय पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट्स के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में दो बिन्दु इस प्रकरण के निस्तारण में परिलक्षित हो रहे है, प्रथम यह कि जब्तशुदा टैंकर सं. आरजे 19 जीडी 8999 के अलावा अन्य टैंकर्स के निस्तारण हेतु यह इस्तगासा धारा 6ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया हैं ? द्वितीय इस प्रकरण में जब्त किये गये टैंकर्स में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कूड ऑयल का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर जब्त किया गया हैं ? अभियोजन अधिकारी द्वारा अपने अभिकथन में यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया हैं कि हस्तगत इस्तगासा में जब्तशुदा टैंकर सं. आरजे 19 जीडी 8999 के निस्तारण हेतु ही निवेदन किया गया हैं तथा इसी की ताईद थानाधिकारी नागाणा ने अपने पत्र दिनांक 13.11.2019 में भी गई हैं कि "प्रकरण हाजा में अन्य जब्तशुदा टैंकरों, चालक व मालिकों के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने से पूर्ण पालना रिपोर्ट प्रेषित नहीं कर इस्तगासा पेश नहीं किया जा सका।" इस प्रकार प्रथम बिन्दु पर निर्विवाद तथ्य साबित हैं कि प्रार्थी द्वारा यह परिवाद जब्तशुदा टैंकर सं. आरजे 19 जीडी 8999 के निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया हैं तथा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं

जिला कलक्टर
बाड़मेर

एसओजी राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 06.12.2019 के अनुसार उक्त टैंकर में कूड ऑयल भरा हुआ पाया गया हैं तथा इसके संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका हैं। इस प्रकार उक्त जब्तशुदा टैंकर सं. आरजे 19 जीडी 8999 के अलावा अन्य टैंकर्स के निस्तारण हेतु न ही यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6ए प्रस्तुत किया गया हैं और न ही उक्त टैंकर्स में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आने वाला कूड ऑयल परिवहन करते हुए जब्त किये गये हैं, ऐसे में प्रकरण में जब्तशुदा अन्य टैंकर्स का निस्तारण सक्षम विचारण न्यायालय के अधीन होने से इस न्यायालय द्वारा कोई निश्चय नहीं किया जा सकता हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1से3 ने उक्त जब्तशुदा टैंकर में भरे गये कूड ऑयल के बारे में प्रकट किया हैं कि कम्पनी के अधिकारियों द्वारा ही उक्त कूड ऑयल भरा गया हैं न कि अप्रार्थीगण द्वारा ऐसे में अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का मामला नहीं बनता हैं। इस संबंध में पुलिस थाना नागाणा में दर्ज एफआईआर एवं न्यायालय में प्रस्तुत अंतिम परिणाम में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले पदार्थ कूड ऑयल का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने का आरोप प्रमाणित माना हैं। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 व 3/8 के तहत दण्डनीय अपराध है तथा इसके विरूद्ध अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिवाद किसी भी दृष्टि से तथ्यपरक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 व 8 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप जब्तशुदा टैंकर सं. आरजे 19 जीडी 8999 को राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप हस्तगत प्रकरण मे जब्तशुदा अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व के टैंकर संख्या आरजे 19 जीडी 8999 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय नजीर 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे मे पारित निर्णय दिनांक 06.02.2009 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन की एवज मे वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे पुलिस थाना नागाणा द्वारा जब्त एवं इस न्यायालय द्वारा राजसात किये गये उक्त टैंकर संख्या आरजे 19 जीडी 8999 के एवज मे उसके अनुमानित मूल्य रूपये दस लाख का जुर्माना वाहन मालिक अप्रार्थी सं. 1 गुणेशाराम उर्फ जेठाराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी दर्जियों की ढाणी माधासर पुलिस थाना बायतु जिला बाड़मेर

जिला कलक्टर बाड़मेर

पर अधिरोपित किया जाता है। यह जुर्माना राशि राजसात वाहन के मालिक द्वारा अदा करने पर उक्त राजसात किया गया वाहन उन्हे नियमानुसार सुपर्द कर दिया जावें। यदि वाहन मालिक द्वारा जुर्माना राशि जमा नही करवाई जाती है तो जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि वह राजसात किये गये उक्त वाहन टैंकर का राज्य पक्ष मे निस्तारण करवावें।

10. आदेश आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

( अंशदीप )
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर



Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.12.28 13:59:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: